to (c). While we are not aware of any ban on popular brands of chocolate in several countries, a controversy has arisen because the invironmental Research Laboratory, Lucknow, a private Laboratory, has reported nickel content in different brands of chocolate in the range of 15 to 41.5 ppm. analysis of random samples of different brands of chocolate by six national laboratory viz. (1) Central Food Laboratory, Calcutta; (ii) Central Food Laboratory, Pune; (iii) Central Food Technological Research Institute, Mysore; (iv) Defence Food Research Laboratory, Mysore; (v) National Institute of occupational Health, Ahmedabad; (vi) National Institute of Nurition, Hyderabad; has revealed nickel content in the range of ND to 2.08 ppm.

The Government has got the issue examined by the experts who have advised as follows:—

(i) a group of experts be constituted under the Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad to review the method of determination of nickel in food including chocolate and examine the available data.

(ii) The Indian Council of Medical Research should evaluate the scientific evidence of toxicity of nickel when consumed orally and may advise the Government on the need for setting standard for nickel content in food article.

The national Institute of Occupational Health and the Indian Council of Medical Research respectively have been advised in this regard.

(d) At present there is no proposal to ban the use of chocolates in India.

Report of Inquiry Committee at Safdarjang Hospital

306. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Inquiry Committee looking into the incident in which eight patients developed reaction on being given dextrose intraveneously at Safdarjung Hospital has submitted its report to the Government;

(b) if so, the details of the report;

(c) whether serious lapses and irregularities on the part of Hospital authorities have come to the notice; and

(d) if so, the action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI. D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (d). An enquiry has already been conducted in the matter. The report of the enquiry committee is under examination.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौतें

307. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय वक्ष केन्द्र में नवम्बर के पहले सप्ताह में कई रोगियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़े पैमाने पर रोगियों की मौतों के क्या कारण हैं, इन मौतों के लिए कौन दोषी है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले की जांच किस एजेंसी द्वारा कराई गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के हृदय-वक्ष केन्द्र में नवम्बर, 1992 में दो रोगियों की मृत्यु हुई। उनकी 14 सितम्बर, 1992 तथा 9 अक्तूबर, 1992 को दो अलग-अलग ऑपरेशन कक्षों में दो अलग-अलग शल्य चिकित्सकों द्वारा बाई-पास सर्जरी की गई। 14.9.92 को ऑपरेशन किये गये रोगी की 50

दिन के बाद 3.11.92 को मृत्यु हो गई। 9 अक्तूबर, 1992 को आपरेशन किये गये दूसरे रोगी को संतोषजनक स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी लेकिन उसे गुर्दे की परेशानी के कारण जिसके परिणामस्वरूप उसके अधिकांश अंग निष्क्रिय हो गये थे तथा गौण संक्रमण हो गया था, 23.10.92 को पुनः अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी 4.11.92 को मृत्यु हो गई। दोनों रोगी, मधुमेह, हृद-धमनी रोग और कम्प्रोमाइज्ड मायोकार्डियल फंक्शन से पीड़ित थे।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ने मामले की जांच की है परन्तु अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित किए गए विसंक्रमण और धूमन संबंधी प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसरण में कर्मचारियों की ओर से किसी चूक का पता नहीं चला।

एड्स की रोकथाम

308. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स का पता लगाने और इस बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में आज तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और अभी तक राज्यवार कितने एड्स के रोगियों का पता लगाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 3 वर्ष (1990-92) के लिए मध्यावधि योजना तैयार की गई थी ताकि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन चलाई जा रही गतिविधियों को तेज किया जा सके। वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार ने देश में एड्स से बचाव और नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। विशेष ध्यान एड्स से बचाव पर दिया गया है क्यों कि अब तक इसका कोई उपचार नहीं है। कार्यक्रम के घटकों में प्रबंध को सुदृढ़ करना, समुदाय में और व्यक्तियों के बीच जागरुकता के स्तर को बढ़ाना, रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता को बढ़ाना, यौन-संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में तेजी लाना और चिकित्सीय प्रबंध व निगरानी में सुधार लाना शामिल है।

(ग) कार्यक्रम के उपर्युक्त घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक से हैं जिन्हें तदनुसार कार्य-योजना तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकें।

पता लगाए गए एड्स के रोगियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

31.10.92 की स्थिति के अनुसार सूचित किए गए एड्स रोगियों की राज्यवार संख्या

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र		एड्स के रोगियों की संख्या
जम्मू व कश्मीर	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	1
पंजाब	—	8
हरियाणा	—	1
राजस्थान	—	1
गुजरात	—	2
महाराष्ट्र	—	93
आन्ध्र प्रदेश	—	1
गोवा	—	2
केरल	—	16
तमिलनाडु	—	73
पांडिचेरी	—	6
उत्तर प्रदेश	—	1
दिल्ली	—	29
पश्चिम बंगाल	—	3
मणिपुर	—	4
योग		242

भारतीयों की संख्या: 228

विदेशी: 14

Birth control for Employees of Central and State Governments

309. SHRI ANANTRAY